न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
479 / 2024	23.07.2024	16.08.2024

उनवान

1. विवके जोशी पिता दीनबन्धु जोशी, जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रूपलाल शर्मा पुत्री बद्रीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी डी 120 आर के कॉलोनी भीलवाड़ा
2. चुन्ना पुत्र उरजा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बबराना तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी महुआ खुर्द तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. सोनू पुत्र मांगी लाल जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी बबराना तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. यशोदा देवी पत्नी स्व0 उगमा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. पवन कुमार पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. राजेश कुमार पुत्र देबी लाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. सायरी देवी पत्नी राजेश कुमार जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी महुआखुर्द तह बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री के0 के0 जीनगर
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बबराना प0ह0 बबराना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 409 की अभिलिखित आराजियात 1842 / 686 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर व खाता संख्या 446 की आराजी संख्या 686 / 1 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0117 हैक्टयर व खाता संख्या 405 की आराजी संख्या 686 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

1.3785 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बबराना प0ह0 बबराना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 409 की अभिलिखित आराजियात 1842/686 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर व खाता संख्या 446 की आराजी संख्या 686/1 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0117 हैक्टयर व खाता संख्या 405 की आराजी संख्या 686 रकबा 1.3785 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा